

मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ)
लघु जल संसाधन विभाग,

जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना-14

ईमेल- ce.pmg-bih@gov.in

दूरभाष- 0612-2215035

संचिका सं०:-ल0ज0सं0(पी0एम0जी0)- डिवार/कालीकृत-15/2023- 15 /पटना, दिनांक:- 13/04/2023

आदेश

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया के पत्रांक-441 दिनांक-30.01.2023, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, गया के पत्रांक-225 दिनांक-01.02.2023 एवं मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-408 दिनांक-07.02.2023 द्वारा मेसर्स अंजली इन्टरप्राइजेज, प्रो०-अमरेन्द्र कुमार, पिता-राजेश्वर सिंह, ए०/०६ हाउसींग कॉलोनी कंकड़बाग, मोहल्ला-लोहियानगर, थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना, पिन कोड-800020, निबंधन संख्या-MWRD1219C2PRO895 (द्वितीय श्रेणी) वैधता अवधि दिनांक-17.12.2019 से 16.12.2024 को निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-13/2021-22 के ग्रुप सं०-02 (महुएत टाल आहर पर्इन का जिर्णोद्धार कार्य) में डाले गये फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र की मात्रा में छेड़-छाड़ कर निविदा में भाग लेने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए इन्हें कालीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय का पत्रांक-131 दिनांक-24.02.2023 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। कारण पृच्छा के क्रम में संवेदक का पत्रांक-शून्य दिनांक-28.02.2023 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि मेरे द्वारा फर्जी अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है नहीं इसकी जानकारी मुझे है। निविदा अपलोड करते समय बहुत सारे अभिलेख स्कैन करने में गलती हुई होगी जिस कारण आधा अधूरा कागजात निविदा में अपलोड हुआ जिससे प्रतीत होता है कि कागजात में कुछ छेड़-छाड़ किया गया है। इस पर संवेदक द्वारा गलती स्वीकार करते हुए माफ करने का भी अनुरोध किया गया है, इस प्रकार गलत वयानी कर संवेदक गुमराह कर रहे हैं। संवेदक का उक्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया, क्योंकि निविदा के संलग्न कागजात एवं अभिलेख की सही एवं सत्य होने की जिम्मेवारी संबंधित संवेदक की होती है। उनके द्वारा अभिलेख सही एवं सत्य होने संबंधित जानकारी होने की शपथ पत्र भी निविदा के साथ संलग्न किया जाता है। इसे मात्र आधा अधूरा कागजात अपलोड होने की बात कह कर संवेदक अपने जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं।

अतः उक्त के आलोक में विषय की महत्ता के मद्देनजर कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, गया एवं मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंसा के आलोक में संवेदक मेसर्स अंजली इन्टरप्राइजेज, प्रो०-अमरेन्द्र कुमार, पिता-राजेश्वर सिंह, ए०/०६ हाउसींग कॉलोनी कंकड़बाग, मोहल्ला-लोहियानगर, थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना, पिन कोड-800020, निबंधन संख्या-MWRD1219C2PRO895 (द्वितीय श्रेणी) को बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के नियम -11 (क) (vii) में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के आलोक में तत्काल प्रभाव से अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक:- 306

/पटना, दिनांक:- 12/04/2023

प्रतिलिपि- मेसर्स अंजली इन्टरप्राइजेज, प्रो0-अमरेन्द्र कुमार, पिता-राजेश्वर सिंह, ए0/06 हाउसींग कॉलोनी कंकड़बाग, मोहल्ला-लोहियानगर, थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना, पिन कोड-800020, निबंधन संख्या-MWRD1219C2PRO895 (द्वितीय श्रेणी) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक:- 306

/पटना, दिनांक:- 12/04/2023

प्रतिलिपि- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कार्य विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण भवन/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक:- 306

/पटना, दिनांक:- 12/04/2023

प्रतिलिपि- आई0टी0मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।